बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या--04/STA.--P3--381/2014 परि0 6122 /पटना, दिनांक 14/10/16

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार--सह--राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अस्वथ्य रहने के कारण बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 67 (24) के आलोक में उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति एवं परमिट नवीकरण की स्वीकृति संबंधी लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन सहित वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी पृष्ठांकन, परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची के निर्गमन एवं राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार नवीकरण पर्ची के निर्गमन संबंधी सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार के अन्य रूटीन कर्त्तव्य के सम्पादन हेतु उनके अस्वथ्य रहने तक की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. उपर्युक्त में अध्यक्ष--सह--सदस्य, राजस्व पर्षद--सह--अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक -- 04/STA.--P3--381/2014 6122 पटना, दिनांकः-- 14/10/16

प्रतिलिपिः--अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई--गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सीडी सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियां कार्यालय व्यवहार हेतु इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-- 04/STA.--P3--381/2014 6122 पटना, दिनांक 14/10/16

प्रतिलिपिः-- मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव, /अध्यक्ष--सह--सदस्य, राजस्व पर्षद--सह--अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग/पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/सभी संयुक्त आयुक्त--सह--सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

R.K.P-702